FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

मुकाम

लत गंगाराम वगैo बनाम बदरी वगैo

कदमा राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225 नं. 27/2023 सन् 2023.

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री जे0 पी0 सैनी उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नंबर 04/2020 बउनवान बदरी बनाम गंगाराम में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के अन्तिरम आदेश दिनांक 05.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 07.04.2020 तक इस कदर जारी की गई कि वे हाल आराजी खसरा नंबर 4553 4554, 4555, 4557, 4558, 4559, 4577, 4578 कुल किता 8 रकबा 2.43 है0 स्थित ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मृतक गंगाराम व रेस्पोडेन्टस् मृतक बदरी को अपने पिता के समय ही पिता कृषि भूमि का बंटवारा कर दिया था तब से ही अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटस् नं 01 मृतक गंगाराम के केवल पुत्रीयां ही वारिसान है पुत्र नही है। इस कारण रेस्पोडेन्टस् जबरदस्ती अपीलांटस् की खातेदारी कृषि भूमि को अपने नाम लगवाना चाहते है इसलिये मनगढ़न्त तथ्यों के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आधार पर झूठा वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है। मृतक गंगाराम के वारिसानों को नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने दिया जा रहा है जो कि अति आवश्यक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.03.2020 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 भी पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में एक पक्षीय आदेश दिनांक 05.03.20 जारी कर गंगाराम को पाबन्द किया गया था और उसके बाद गंगाराम की उक्त प्रकरण में तामिल भी नही हुयी है। गंगाराम की मृत्यु के बाद अपीलांट गंगाराम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज करवाने के लिये ग्राम पंचायत में गये तो वहां पटवारी ने उक्त आदेश के बारे में अवगत कराया। प्रार्थीगण का कानूनन अपने पिता/पति की विरासत संपत्ति पर अधिकार है क्योकि अपीलान्टस् मृतक के विधिक वारिसान है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलांटगण उक्त विवादित आराजीयात के वहक वारिसान हकदार होने के बावजूद उन्हें पक्षकारान नही बनाया गया जो कि न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत है अतः अपीलांटस् का प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 05.03.20 की कोई जानकारी नही थी मृतक गंगाराम की मृत्यु के बाद अपीलांट जब ग्राम पंचायत में दिनांक 02.02.23 को गये तो वहां पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा [illegible] मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रा[illegible] हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट [illegible] करने का निवेदन किया गया।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलार्थी द्वारा शपथपत्र सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों ने मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

धारा 96 के प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों व बहस से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी मृतक गंगाराम की पत्नी व पुत्रियां है। इस कारण से मृतक गंगाराम की विधिक वारिसान है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाण्टगण मृतक गंगाराम के वारिसान होने के नाते विवादित आराजीयात के बहक हकदार है। इसके अतिरिक्त लगभग अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के करीब एक साल बाद भी निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 05.03.2020 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2020 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एलआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में ... पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क... ...देश की अपील न्यायालय राजस्व अ... ...काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।

2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत् 2077 ग्राम खिलचीपुर का अवलोकन किया गया, जिसमें अपीलाण्ट मृतक गंगाराम विवादित आराजी खसरा संख्या 4553, 4554, 4555, 4557, 4558, 4559, 4577, 4578 कुल किता 8 कुल रकबा 2.43 है0 के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 के अनुसार अपीलाण्टा मृतका गंगाराम के विधिक वारिसान है और पैतृक संपति में अपीलांट 1/2 व 1/3 जन्म से ही सहखातेदार है। अतः इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में पाया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रेकॉर्डेड खातेदार व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत के आदेशिक दिनांक 05.03.2020 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन अप्रार्थीगण/[illegible] को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] दी गई।

[illegible] प्राधिकारी
[illegible]पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हैं।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा करीब तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। जबकि ऐसे आदेशों को 01 माह की अवधि में निस्तारित किया जाना अनिवार्य है।

चतुर्थ, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

पंचम, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर मुकदमा नंबर 2020/00010 के आदेश दिनांक 05.03.2020 को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 4553, 4554, 4555, 4557, 4558, 4559, 4577, 4578 कुल किता 8 कुल रकबा 2.43 है० वाके ग्राम खिलचीपुर पटवार हल्का खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर का प्रचलन स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner